GOVERNMENT OF HARYANA EDUCATION DEPARTMENT ORDER

(under Rule 34(6) of Haryana school education Rules-2003)

GRANT OF PERMANENT RECOGNITION

DREDER NO:- E-4/2016/3588-94

DATED 19-05-16

n exercise of power conferred under rule 34(6) of Haryana School Education Rules 2003 as amended from time to ime sanction is hereby accorded for grant of Permanent Recognition to US Sr.Sec. School Pataudi (Gurgaon) as er the following details and terms & conditions (overleaf):

lame & Address of the School

US Sr.Sec. School Pataudi (Gurgaon)

lame of the individual or

US Education Society (Gurgaon)

ssociation of Individuals or

ociety or Trust or Company establishing the school

Yes

ffiliating Board (Haryana Board/ CBSE/ ICSE)

Haryana Board

or classes (stage upto which it is being recognized)

11th to 12th

tream Art /Commerce/science

All Stream Art /Commerce/science

pproximate number of students to be enrolled

500

EO -cum- Member f the District Corffihittes catt. A C

s per specified under tribe PA(F) of I lucation Rules 2003 as amended time to Ame ignature and seal)

Deputy Commissioner-cym-Chairman of the District Committee

(As per specified under rules 34(6) of Haryana Education Rules 2003 as amended time to time

(Signature and seal)

idst. No. Even:

1 Manager of School management US Sr.Sec. School Pataudi (Gurgaon)

2 Director School Education, Haryana Panchkula.

3 DEEO Gurgaon.

4 Secretary, Haryana Board of School Education, Bhiwani.

5 Manager /Head of School US Sr.Sec. School Pataudi (Gurgaon)

6 Principal,:

US Sr.Sec. School Pataudi (Gurgaon)

7 BEO Pataudi.

For terms and Condition, Please see reverse.

U.S. HIGH SCHOOL V&PO Pataudi Distt. Gurugram (Hr.) ायां लिय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा ह्रियाणा चूर्णडीगढ़ आदेश क्रमांक: 23/302-99 विध-तथ दिनांक, चण्डीगढ़ : 20-10-99

पुरुश्तरहाई स्कूल पटौदी श्राहुगांव। को दसवी स्तर तक स्थायी मान्यता विचाक 1-4-99 से निम्न शती पर प्रदान की जाती है :-

- ा. विधालय के प्रबम्धक स्कूल की अपने ही साधनों से चलायेंग और ग़ांट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- 2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा।
- 3. विद्यालय हिंद्रियाणा शिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की सभी शता की पूर्ण रूप से पालना करेगा।
- 4. अध्यापकों को वेतन क्रांस चैक दारा दिया जाये I
- 5. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक हु। १९११ की धारा-4 की सभी जाती की पूर्ण करेगा तथा उनके जो भी रूल्ज बनाये जायेंगे उनका विद्यालय पालन करेगा।
- 6. नियुक्तियों में आरक्षण नी ति का ध्यान रखेगा ।

मुरेश मित्तल संयुक्त निदेशक विद्यालय कायालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।

वृष्ठा कंन क्रमांक सम दिनांक, वण्डीगढ़ : ११-१०-११ इसकी एक प्रति निम्निमिख्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 2. जिला शिक्षा अधिकारी, गुझगांव को उनके पत्र क्रमांक स्टेनो /99/383 दिनांक 8-10-99 के संदर्भ में ।
- 2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी ! सिवाये गुड़गांव।
- 3. अधी क्षक, सैकेण्डरी शिक्षा शाखा हत्था नीयह¹¹
- 4. अधीक्षक आंकड़ा इस्थानीय
- 5. त्रीवा, हरियाणा विदालय शिक्षा बोई, अदानी
- 6. मुख्याध्यापक, यू०एस०हाई स्कूल,पटौद[ी] श्रुह्णांवश

अधी सक विद्यालय । भग्न-११ कृते : निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगद शिक्षा

Principal
U.S. HIGH SCHOOL
V&PO Pata idi
Distt. Gurugram (Hr.)